



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012024-251665  
CG-DL-E-31012024-251665

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]  
No. 69]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2024/माघ 11, 1945  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2024/MAGHA 11, 1945

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2024

फा. सं. एचक्यू-13073/1/2020-एयूटीएच.II(ई).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) विनियम, 2023 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) विनियम, 2023 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है), के विनियम 3 में, स्पष्टीकरण में, "उप-विनियम" शब्द के पश्चात्, "और उप-विनियम (5)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल विनियमों में, विनियम 3 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"(4) जहां पूर्व में प्रस्तुत किए गए किसी आधार नंबर, ऐसे आधार नंबर के लोप या निष्क्रियण या ऐसे निष्क्रिय किए गए आधार नंबर के पुनः सक्रिय किए जाने पर, का तत्पश्चात् लोप या निष्क्रियण या पुनः सक्रिय होना हुआ है,

के संबंध में अद्यतीकरण की स्थिति सहित अधिप्रमाणन करने के लिए अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा प्राधिकरण के साथ कोई समझौता ज्ञापन या करार किया गया है, आधार नंबर का अधिप्रमाणन करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसे अद्यतीकरण के रूप में प्राप्त पश्चात्कर्ती किसी भी प्रतिक्रिया के लिए, ऐसे प्रत्येक अद्यतीकरण के लिए अनुरोधकर्ता संस्था को पांच रुपये की फीस प्रभार्य होगी :

परंतु यह कि, जहां ऐसा अद्यतीकरण सीआईडीआर में आधार नंबर धारकों की सूचना के अनुरक्षण करने, सीआईडीआर में सतत शुद्धता के लिए उनके वर्तमान ब्यौरों को अद्यतीकृत करने, आधार नंबरों की सूचना का प्रसंस्करण करने और सीआईडीआर में जांच करने सहित, प्राधिकरण के कृत्यों के निष्पादन और शक्तियों के प्रयोग के हितों में हो, प्राधिकरण, आदेश द्वारा, ऐसी फीस को ऐसी सीमा तक अधित्यजित कर सकेगा जैसी कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) उप-विनियम (4) के अंतर्गत फीस—

(क) लागू करें सहित होगी;

(ख) जिस कैलेंडर माह में आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) संशोधन विनियम, 2024 प्रवृत्त हुआ है, उसकी समाप्ति से चौबीस कैलेंडर महीनों की प्रत्येक अवधि के पूरा होने पर, ऐसी अवधि की समाप्ति के कैलेंडर माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुपात के समानुपात में, निकटतम दस पैसे तक पूर्णांकित हो, पुनरीक्षित हो जाएगी :

परंतु यह कि प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे पुनरीक्षण को ऐसी अवधि तक आस्थगित कर सकता है जैसा वह विनिर्दिष्ट करे।"

4. मूल विनियमों में, विनियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"12. प्रत्यायोजित शक्ति या कृत्य से संबंधित कार्य या बात को करना.—(1) ऐसा कोई कार्य या बात जो प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है, प्राधिकरण के ऐसे सदस्य या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है जिसे प्राधिकरण ने संबंधित शक्ति या कृत्य, अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत, सामान्य या विशिष्ट लिखित आदेश द्वारा प्रत्यायोजित किया है।

(2) प्राधिकरण, उप-विनियम (1) के अंतर्गत एक सदस्य, अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य या बात उक्त उप-विनियम में निर्दिष्ट प्रत्यायोजित शक्ति या कृत्य से संबंधित है या नहीं, अवधारित कर सकेगा।"

संजीव यादव, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./724/2023-24]

नोट : मूल विनियम अधिसूचना एफ. सं. एचक्यू-13073/1/2020/ एयूटीएच.II.एचक्यू(ई), दिनांक 29 सितंबर, 2023 द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण भाग-III, खंड 4 में दिनांक 3 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित किए गए थे।

## UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2024

**F. No. HQ-13073/1/2020-AUTH.II (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Aadhaar (Payment of Fees for Performance of Authentication) Regulations, 2023, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Aadhaar (Payment of Fees for Performance of Authentication) Amendment Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. In the Aadhaar (Payment of Fees for Performance of Authentication) Regulations, 2023 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 3, in the Explanation, after the word "sub-regulation", the words, brackets and figure "and sub-regulation (5)" shall be inserted.**

